न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 03/2019 अपील (राजस्व)

1. श्री अनोपसिंह पिता मेघसिंह राव, निवासी आसोलियो की मादड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री भगवतसिंह पिता मेघसिंह राव, निवासी आसोलियो की मादड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्टगण

बनाम

श्री नाहरसिंह पिता हीरसिंह राव, निवासी आसोलियों की मादड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध तहसीलदार मावली जिला उदयपुर आदेश दिनांक 03.01.18 प्रकरण संख्या 27/17 विविध (रास्ता संबंधी)

उपस्थितः— श्री विजय कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता अपीलान्टगण
श्री गिरधारीसिंह राव, अधिवक्ता विपक्षी

निर्णय

दिनांकः— 01.07.19

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया है कि मौजा आसोलियों की मादड़ी पटवार हल्का बोयणा तहसील मावली की आराजी संख्या 130 रकबा 0.05 आराजी चाह कुॅआ जो उनके पिता हरिसिंह जी एवं अन्य सहखातेदारो के नाम शामलाती दर्ज रेकार्ड हैं पर आने जाने का रास्ता बन्द कर दिया हैं। जिस पर बाद सुनवाई अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौजा आसोलियो की मादड़ी की आराजी संख्या 131 में राजस्व नक्शे में अंकित पगडण्डी को खातेदारान के द्वारा बन्द नहीं किया जावें का आदेश प्रदान कर दिया जिससे दुखी होकर यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। राजस्व नक्शे में आराजी संख्या 131 में किसी भी प्रकार का पगडण्डी रास्ता नहीं हैं। उसके

बावजुद पटवारी हल्का बोयणा द्वारा रेकार्ड को समझने में भारी भूल की हैं और बिना रेकार्ड को समझे ही अधिनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जबकि आराजी संख्या 130 के पूर्व साबिक आराजी संख्या 56 एवं आराजी संख्या 131 के पूर्व साबिक आराजी संख्या 55 हैं। संलग्न नक्शे ट्रेस मे आराजी संख्या 56 व 55 में कही पर भी पगडण्डी रास्ता नहीं था। तो आराजी संख्या 130 व 131 में पगडण्डी रास्ता होने का सवाल ही पैदा नहीं होता हैं। इसके बावजुद पटवारी हल्का द्वारा पगडण्डी रास्ता अपनी रिपोर्ट में बताया गया हैं। जो कि रेकार्ड के विपरीत हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर राजस्व रेकार्ड के विपरीत जाकर जो आदेश प्रदान किया गया है वह न्यायोचित नहीं हैं। पूर्व में कोई पगडण्डी रास्ता नहीं होने से नवीन रास्ता कायम नहीं किया जा सकता और वह भी अन्य खातेदारान की आराजी में से होकर। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली के आदेश दिनांक 03.01.18 को निरस्त फरमाया जावें।

अपील मेमो के साथ में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी दिनांक 27.11.18 को हुई। जिसकी नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः आदेश दिनांक से नकल मिलने की दिनांक तक की मियाद कण्डोन फरमायी जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता गिरधारीसिंह राव उपस्थित। जिनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई एवं लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली हैं।

अपील पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि आराजी संख्या 137, 138, 139 पर जाने हेतु आराजी संख्या 131 में कोई रास्ता अंकित नहीं हैं। आराजी संख्या 130 के साबिक नम्बर 56 एवं आराजी सख्या

131 के साबिक नम्बर 55 है जिनका पूर्व साबिक नक्शा ट्रेस संलग्न पत्रावली है। इस नक्शा ट्रेस में आराजी संख्या 55, 56 में कही पर भी पगडण्डी रास्ता अंकित नहीं हैं। पटवारी हल्का द्वारा राजस्व अभिलेख के परे जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी बिना अभिलेख की जॉच पड़ताल किये महज रिपोर्ट पटवारी के आधार पर निर्णय पारित कर दिया गया। जिस भूमि में कोई पगडण्डी रास्ता ही अंकित नहीं हैं। ऐसी आराजीयात में नवीन रास्ता कायम नहीं किया जा सकता हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अभिलेख के विरूद्ध आदेश पारित किया हैं। ऐसे आदेश को निरस्त फरमाया जावें। अपने कथनो की ताईद में 2011–12 (SUPP) आर आर टी 372, 2014 (2) आर आर टी पेज 1154, 2010 आर आर डी पेज 63, 2010 आर आर डी पेज 375, 2012 (2) डीएनजे (राज.) पेज 986, 2017 (1) डीएनजे (रेव) पेज 40 की नजीरे प्रस्तुत की गई।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपीलार्थी के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि मौजा आसोलियो की मादड़ी की आराजी संख्या 130 किस्म आ.चा. स्थित है व आराजी संख्या 131 रकबा 4.17 हैक्टर होकर अपीलान्टगण व अन्य खातेदारो के मध्य सहखातेदारी से दर्ज हैं। आराजी संख्या 131 में नक्शे के अनुसार पगडण्डी रास्ता है जिसमें से होकर आगे के खातेदार रेस्पोडेंट अपनी आराजीयात 137, 138, 139 में आते जाते हैं। परन्तु वर्तमान में आराजी संख्या 131 के खातेदार अपीलान्टगण द्वारा इस रास्ते को बन्द कर दिये जाने से अधिनस्थ न्यायालय ने आवेदन किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बन्द पगडण्डी को पुनः चालु किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी गहन अध्ययन किया गया। पत्रावली सलग्न नक्शा ट्रेस को देखा गया। आराजी संख्या 131 में सम्पूर्ण रूप से पगडण्डी रास्ता उल्लेखित हैं। पगडण्डी रास्ते को खातेदारो द्वारा बन्द नहीं

किया जा सकता हैं। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि सभी कदीमी रास्तो का रेकार्ड में दर्ज होना आवश्यक नहीं हैं। खेतो पर जाने के ऐसे सैकड़ो हजारो रास्ते विद्यमान हैं। जिनका रेकार्ड में अंकन नहीं हैं। यदि काश्तकार कदीम से अपने खेत पर जाने हेतु किसी रास्ते का उपयोग करता आ रहा है तो धारा 251 के अन्तर्गत उसे कायम रखवाये जाने का पुरा अधिकार है जबकि हस्तगत प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि आराजी संख्या 131 में पगडण्डी रास्ता दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में आराजी संख्या 131 के खातेदारान द्वारा राजस्व नक्शे में अंकित पगडण्डी को उनके द्वारा बन्द नहीं किया जा सकता हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली के प्रकरण संख्या 27/17 विविध (रास्ता संबंधी) निर्णय दिनांक 03.01.18 में कोई विधिक त्रुटी नहीं पायी जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बहाल रखा जाता हैं।

निर्णय की प्रति एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार मावली को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर